

लोक-सुनवाई का वृत्त

मेसर्स न्यू फैशन, प्रस्तावक, श्री शौर्य शेखर, पिता-श्री चन्द्रशेखर सिंह, पुरानी चौक, सिकंदरा, जिला-जमुई के द्वारा अनजना नदी ब्लॉक-02 बीजुआही बालू घाट, मौजा-बीजुआही, प्रखंड-गिद्धौर, जिला-जमुई में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक-सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं०- एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में दिनांक 22.06.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रखंड सभागार गिद्धौर, जिला-जमुई के प्रांगण में लोक सुनवाई आयोजित की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना सं०- एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के तहत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी०ओ०आर० (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या- SIA/1(a)/2265/2023, दिनांक 02.02.2023 के आलोक में रामदुलार राम, अपर समाहर्ता-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जमुई की अध्यक्षता में की गयी। **उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)**

प्रसंगाधीन लोक-सुनवाई की सूचना पर्वद्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा-“द टाइम्स ऑफ इंडिया, पटना” एवं “हिन्दुस्तान”, भागलपुर संस्करण के माध्यम से दिनांक 18.05.2023 को प्रकाशित की गयी है (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक सुनवाई के दौरान एस० एन० झा, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद्वारा, भागलपुर के द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय, खनन पट्टाधारक एवं पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्ता के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक-सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया गया।

तदोपरांत परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राजेश कुमार विश्वास ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल पर्यावरण रिसोर्सेसबिलिटी आदि के संबंध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि-

1. यह बालू खनन पट्टा अनजना नदी ब्लॉक-02 बीजुआही बालू घाट, मौजा-बीजुआही, प्रखंड-गिद्धौर, जिला-जमुई में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री शौर्य शेखर को इस खनन पट्टा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृत आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा ब्लॉक- 02 में 5.0 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष 63300 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत ₹ 35.5 लाख (निलामी लागत सहित) अनुमानित है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में बालूघाट के ब्लॉक संख्या- 02 को सम्मिलित किया गया है।
2. बालू खनन, खनन पट्टा के सीमा के अंदर “वैज्ञानिक विधि” तथा अनुमोदित “खनन योजना” के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के कार्य के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाए गए हैं।

h

3. खनन में ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग का प्रयोग नहीं किया जायेगा। खनन कार्य अर्द्ध-मशीनीकरण व्यवस्था के साथ किया जायेगा जिसमें यांत्रिक उपकरणों के साथ मानव संसाधन का भी उपयोग किया जायेगा। बरसात एवं बाढ़ की अवधि में खनन नहीं किया जायेगा। जल प्रवाह वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं किया जायेगा। केवल सूखे स्थल पर ही खनन की कारवाई की जायेगी।
4. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं हो। खनन का कार्य केवल 1 मीटर तक की गहराई अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।
5. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अस्थायी व वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। बालू को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में ओवर-लोडिंग नहीं किया जायेगा। इस मार्ग के रख-रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
6. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे- मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाईल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।
7. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाए जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
8. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दबाव वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्र खनिज को ही निर्गत किया जाएगा।
9. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणों के नियंत्रण हेतु प्रतिदिन तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर निर्गत किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र कर वहां से निर्गत करने से खनिज से रिसने वाला जल मार्गों को जलमग्न नहीं होने देना खनिज में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन का नियंत्रण हो सकेगा।
10. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा। खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
11. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय-समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

✍

✍


परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं-


क्रमांक	प्रतिक्रिया/सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	<p>श्री मनीष कुमार, ग्राम-बीजुआही, गिद्धौर, जिला-जमुई के द्वारा पुछा गया कि-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्थानीय लोगों को क्या सुविधा मिलेगी। 2. धूलकण से रोकथाम का क्या उपाय किया जायेगा। 3. वृक्षारोपण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 4. गाड़ियों के आवागमन से विद्यालय के बच्चों को दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना के आलोक में क्या उपाय किया जायेगा। 	<p>प्रस्तावित परियोजना में स्थानीय लोगों को उनकी योग्यता के आधार पर कार्य में प्राथमिकता दिया जायेगा।</p> <p>बालू लदे गोड़ियों का तिरपाल से ढक कर परिवहन कराया जायेगा।</p> <p>प्रति हेक्टेयर 10 वृक्ष सड़क के किनारे एवं ग्रामीणों से विमर्श के उपरांत उपयुक्त स्थलों पर लगाया जायेगा।</p> <p>विद्यालय खुलने एवं बंद होने के समय में गाड़ियों का आवागमन नहीं कराया जायेगा।</p>
2.	<p>श्री दीपक कुमार, ग्राम-बीजुआही, जमुई के द्वारा पुछा गया कि बालू उटाव से उत्पन्न धूलकण से फसल को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए क्या कारवाई की जायेगी।</p>	<p>गाड़ियों के आवागमन के लिए उपयोग किये जाने वाले रास्तों पर नियमित जल-छिड़काव तथा सड़क के किनारे वृक्षारोपन कराया जायेगा।</p>
3.	<p>श्री नवीन कुमार, ग्राम-दरहा, जिला-जमुई के द्वारा पुछा गया कि-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. मानक से ज्यादा गहराई तक खनन किया जाता है। 2. गांव के विकास के लिए क्या किया जायेगा। 3. वृक्षारोपन कहाँ किया जायेगा। 	<p>प्रस्तावित खनन परियोजना में अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक ही खनन करने का अनुमति है।</p> <p>सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत परियोजना लागत का 2% राशि 71,000/- रूपया प्रतिवर्ष गांव के विकास के लिए खर्च किया जाना है।</p> <p>सड़क के किनारे एवं अतिरिक्त उपयुक्त स्थल उपलब्ध होने पर ग्राम पंचायत की सहमति से वृक्षारोपन कराया जायेगा।</p>
4.	<p>श्री रौशन कुमार, ग्राम-बीजुआही, जमुई के द्वारा रोजगार में बाहरी लोगों के जगह स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर अवसर दिये जाने का अनुरोध किया गया।</p>	<p>प्रस्तावित परियोजना में स्थानीय लोगों को उनकी योग्यता के आधार पर कार्य में प्राथमिकता दिया जायेगा। स्थानीय स्तर पर योग्य व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने पर ही गांव के बाहर से व्यक्ति की तलाश की जायेगी।</p>

2

लोक-सुनवाई के समापन में अपर समाहर्ता सह सभा के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि बालू एक नैसर्गिक स्रोत है जिसका संवेदनशील तरीके से उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके अत्यधिक दोहन से पर्यावरण को काफी नुकसान होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। साथ ही इसका समुचित दोहन से स्थानीय एवं राज्य स्तर पर आर्थिक लाभ होता है। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण हेतु उपाय सुझाए गए हैं। इसका क्रियान्वयन की निगरानी आपके स्तर से होनी चाहिए एवं आवश्यकता पड़ने पर इसकी सूचना जिला प्रशासन को शीघ्र देने पर व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदय के द्वारा सूचित किया गया कि बैठक में उपस्थित जनता से प्राप्त सुझाव/शिकायत से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जायेगा, जिससे प्रस्तावित परियोजना विधिसम्मत तरीके से चल सके तथा ग्रामीणों को इस परियोजना का समुचित लाभ प्राप्त हो।





















लोक-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक-सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।


23-6-2023
क्षेत्रीय पदाधिकारी
बि०रा०प्र०नि०प०र्षद,
भागलपुर।


अपर समाहर्ता
जमुई।

उपस्थिति सूची

मेसर्स न्यू फैशन, श्री शौर्य शेखर, पिता-श्री चन्द्रशेखर सिंह, पुराना चौक, सिकंदरा, जिला-जमुई द्वारा अनजना नदी ब्लॉक 02 बीजुआही बालू घाट, मौजा-बीजुआही, ब्लॉक-गिद्धौर, जिला-जमुई का बालू खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 22.06.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे लोक सुनवाई का स्थल: प्रखंड सभागार गिद्धौर, जिला- जमुई में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Rajoo Kulak Ram	Adm (P&R) Cmn S P & R Jammui	 22/6/23
2.	Shambhu Nath Jh	Regional officer Bhagalpur B.C.P.C.B	 22-6-23
3.			 22/06/2023
4.	Sriha	Mines inspector	 22/06/2023
5.	Anish Kumar	Asst. Scientific Officer BSPCB, Bhagalpur	 22/06/2023
6.	Rajesh Kumar Vishwak	Environmental Consultant P & M Solution (Noida)	
7.			
8.			
9.			
10.			

11.	डिगोंग प्रब सिंग	ग्राम पौ- गंगरा उमंगपुंग	डिगोंग प्रब सिंग
12.	गिदेश सिंह	ग्राम पौ- गंगरा	गिदेश सिंह
13.	रघुनाथ राव	गंगरा	
14.	श्रीवरा कुमार	ग्राम बीजडावी	श्रीवरा कुमार
15.	मनीष कुमार	गाँव विजुआही	मनीष
16.	सुरेश मंडो	गाँव विजुआही	सुरेश मंडो
17.	नवीन कुमार	गाँव- डरहा	Naveen Kumar
18.	मनका यादव	विजुआही	मनका यादव
19.	चरनी लाल	निमनरु	श्री लाल
20.	अरविन्द कुमार	विजुआही	अरविन्द कुमार
21.	निलेश कुमार	विजुआही	निलेश कुमार
22.	दिपक कुमार	विजुआही	दिपक कुमार
23.	रोशन कुमार	विजुआही	रोशन कुमार
24.	रमेश कुमार	विजुआही	रमेश कुमार
25.	विक्रम कुमार	विजुआही	विक्रम

26.	निगीत यडव	गिडहौर	निगीत
27.	Sonal Yadav	Gidhaur	Sonal
28.	Gauri Shukla	Gidhaur	Gauri Shukla
29.	रिडम रिड	गिडहौर	रिडम रिड
30.	मोहन शर्मा	BSPCB Bha.Padma	Shri
31.	Deepak Singh	Gidhaur	Deepak Singh
32.	Rakesh Rv	Bignauri	Rv
33.	मोहन लाल	बिडु आर	मोहन लाल
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			